—:: निर्णय ::—

दिनांक— 20/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है — प्रार्थीगण के ग्राम अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1650 रकबा 0.04 है0, 1651 रकबा 0.99 है0, 1652 रकबा 0.15 है0, 1653 रकबा 0.11 है0, 1668 रकबा 0.35है0, 1669 रकबा 0.34है0, 1670 रकबा 0.20 है0, 2204 रकबा 0.67 है0, 2205 रकबा 1.40 है0, 2206 रकबा 0.05 है0, 2207 रकबा 0.4 है0, 2233 रकबा 0.52 है0, 2234 रकबा 0.01 है0, 2235 रकबा 0.46 है0, 2236 रकबा 0.28 है0, 2237 रकबा 0.42 है0, 2238 रकबा 0.49 है0, 2240 रकबा 0.21है0, 2241 रकबा 0.11 है0, 2242 रकबा 0.14 है0, 2243 रकबा 0.06 है0, 2244 रकबा 0.30 है0, 2245 रकबा 0.30 है0, 2246 रकबा 0.23 है0, 2247 रकबा 0.42 है0, 2248 रकबा 0.22 है0, 2249 रकबा 0.28 है0, 2250 रकबा 0.75 है0, 2251 रकबा 0.21 है0, 2252 रकबा 0.28 है0, 2253 रकबा 0.06 है0, 2255 रकबा 0.95 है0, 2270 रकबा 1.58 है0, 2271 रकबा 0.09 है0, 2323 रकबा 0.02 है0, 571 रकबा 0.03 है0 कुल किता 37 रकबा 14.67 है0 हैक्टेयर का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात नम्बर 2205 रकबा 1.40 है0 किस्म पेटा ।।, 2207 रकबा 0.94 है0 किस्म पेटा ।।, 2234 रकबा 0.01 है0 किस्म गेमु देवस्थान, 2270 रकबा 1.58 है0 किस्म पेटा ।।, 571 रकबा 0.03 है0 किस्म गेमु बाड़ा को छोड़कर शेष किता 32 रकबा 10.71 है0 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 2200/— रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.29 11:34:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि ... अपेक्षा पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर ... शीघ्र भिजवावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)